न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/225/2013**

उनवान

1. गोविन्द राम पुत्र छोगा गुर्जर निवासी भैरू खेडा
2. लादूराम पुत्र छोगा गुर्जर निवासी भैरू खेडा
3. मु0 गलकू बेवा छोगा गुर्जर निवासी भैरू खेडा मृतक के बजाय कायम मुकाम :—
   3/1 श्रीमती रूकमा पुत्री स्0 छोगा पत्नी नन्दा गुर्जर निवासी दूदीया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
   3/2 श्रीमती रंगू पुत्री स्व0 छोगा पत्नी खमाण गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
   3/3 श्रीमती नोसर पुत्री स्व0 छोगा गुर्जर पत्नी काना गुर्जर निवासी छुवाणा का बाडिया तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
4. नारायण पुत्र भूरा गुर्जर निवासी भैरू खेडा
5. ऊंकार पुत्र भूरा गुर्जर निवासी भैरू खेडा
6. हिन्दु मुतबन्ना ज्वारा गुर्जर निवासी भैरूखेडा
7. पीथा पुत्र सवाई गुर्जर निवासी भैरू खेडा
8. हीरा पुत्र सवाई गुर्जर निवासी भैरू खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. उदा मुतबन्ना हजारी गुर्जर निवासी भैरू खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. नानू पुत्र घीसा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. भोमा पुत्र घीसा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द
4. मेवा पुत्र घीसा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. हरदेव पुत्र घीसा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द
6. श्रीमती गंगा पत्नी घीसा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द
7. हंजा पुत्री धन्ना गुर्जर पत्नी मेवा गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द
8. संतोकी पुत्री धन्ना गुर्जर पत्नी जीवण गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
9. श्रीमती हरकू पुत्री धन्ना पत्नी गोपी गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
10. श्रीमती कूकी पुत्री धन्ना पत्नी नाथू गुर्जर निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
11. मु अणछी बेवा धन्ना गुर्ज़र निवासी झरडू का खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
12. कुन्दन पुत्र मोटा गुर्जर निवासी भैरू खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
13. नन्दा पुत्र क्ष्मण गुर्जर निवासी भैरू खेडा तहसील आसीन्द
14. मेवा पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी भैरूखेडा तहसील आसीन्द
15. श्रीमती हीरी पुत्री जगु पत्नी ब्रह्मा गुर्जर निवासी परा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 109/2011 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.1.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री दूदाराम कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जे सी दाधीच ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 11 एवं प्रत्यर्थी संख्या 13 से 15
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

# निर्णय

दिनांक 25.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रर्त्यी संख्या 1 /वादी ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 14 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भैरूखेडा पटवार हल्का जैतगढ तहसील आसीन्द में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजियात स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

| खाता नम्बर | आराजी नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| 135 | 971 | 2 बीघा 11 बिस्वा |
| | 972 | 1 बीघा 13 बिस्वा |
| | 973 | 1 बीघा 14 बिस्वा |
| | 974 | 1 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी |
| | 1006 | 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी |
| | 1008 | 01 बिस्वा |
| | 1009 | 1 बीघा |
| | 1010 | 0 बीघा 17 बिस्वा |
| | 1011 | 0 बीघा 14 बिस्वा 0.5बिस्वांसी |
| | 1012 | 0 बीघा 14 बिस्वा |
| | 1042 | 0 बीघा 8 बिस्वा |

कुल किता 11 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा 5 बिस्वांसी राजस्व रेकार्ड में नानू, हरदेव, जगु, भोमा, मेवा पिता घीसा, मु0 गंगा बेवा घीसा, व हंजा व संतोकी, हरकू, कूकी, पिता धन्ना व मु0 अणछी बेवा धन्ना 1/5 हिस्सा व गोविन्दराम, लादूराम पिता छोगाव मु0 गलकू बेवा छोगा, नारायण,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ऊंकार पिता भूरा 1/5, व कुन्दन पिता मोटा, ज्वारा, पीथा, हीरा, पिता सवाई 1/5 व उदा मुतबन्ना हजारी 1/5 व नन्दा, मेवा पिता लक्ष्मण 1/5 गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अविभाजित होने से वादी को अपनी भूमि सुधार करने, लगान जमा क़राने व लोन इत्यादि लेने में परेशानी होती है । इसलिए विवादित आराजियात का हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का विभाजन कराया जाना आवश्यक है। आराजी नम्बर 1006 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी, आराजी नम्बर 1008 रकबा 1 बिस्वा व आराजी नम्बर 1042 रकबा 8 बिस्व गैर मुमकिन चाह है । अतः इन्हें राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज कराया जावे तथा हिस्से अनुसार ओसरा सिंचाई हेतु तय कराया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.11.2011 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार बदनोर से तलब किया गया । बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.1.2013 को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी थी। दिनांक 5.9. 2013 को वादी/प्रत्यर्थी द्वारा अपनी विभाजन सुदा भूमि पर अपना कब्जाकाश्त नही होते हुए भी मौके पर आया और अपीलार्थीगण को अपने कब्जेकाश्त वाली भूमि से अपना कब्जा हटाने के लिए धमकी दी । अपीलार्थीगण द्वारा मना करने पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 न्यायालय द्वारा डिक्री होने के बल पर कब्जा करना जाहिर करने पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 6.9.2013 को न्यायालय में आकर वादग्रस्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की । इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भैरूखेडा पटवार हल्का जैतगढ तहसील बदनोर के खाता संख्या 135 में आराजी नम्बर 971 लगायत 974 , 1006 1008 से 1012 तथा 1042 कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा 05 बिस्वांसी भूमि से नानू, हरदेव, जगु, भोमा, मेवा पिता घीसा , मु0 गंगा बेवा घीसा, हंजा, संतोकी, हरकू, कूकी, पिता धन्ना व मु0 अणच्छी बेवा धन्ना 1/5 हिस्सा व गोविन्दराम, लादूराम पिता छोगा मु0 गलकू बेवा छोगा, नारायण, ऊंकार पिता भूरा 1/5, कुन्दन पिता मोटा, ज्वारा पीथा, हीरा पिता सवाई 1/5हिस्सा व उदा मुतबन्ना हजारी 1/5 तथा नन्द,मेवा पिता लक्ष्मण 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। हिस्से अनुसार पक्षकार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजी को सुधार करने, लगान जमा कराने में परेशानी होती है इसलिए अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपना 1/5 हिस्सा अनुसार विभाजन का वाद प्रस्तुत किया उसमें अपीलार्थीगण की प्रोपर तामील नहीं होने के बावजूद तामील मान ली, जिससे अपीलार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी नहीं हो सकी । उसी पेशी पर तुरता फुरती में वाद को बिना साक्ष्य लिए ही प्रारंभिक डिक्री किया जाकर गुपचुप तरीके से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर केम्प मोटरा में दिनांक 16.1.2013 को वाद में एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिकी पारित कर दी ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 5 का 1/5 वां हिस्सा, तथा अपीलार्थी संख्या 6 से 8 व प्रत्यर्थी संख्या 12 का 1/5 वां हिस्सा आता है, प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/5 वां हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 2–11 व 15 का 1/5 वां हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 13 एवं 14 का 1/5 वां हिस्सा आता है । उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किये जाने के बावजूद अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने का वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा नाजायज फायदा उठाने की नियत से पटवार हल्का से मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि में अपनी मनमर्जी के अनुसार 1/5 हक हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा लिया व अपीलार्थीगण का 2/5 हक हिस्सा विभाजन प्रस्ताव में अपनी मनमर्जी से जहॉ अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं होते हुएभी उक्त जगह का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा लिया । जिसके बारे में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण की कोई सहमति नहीं ली गई। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी /प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से में जहॉ अपना कब्जाकाश्त नहीं होते हुए भी आराजी नम्बर 1009, 1011, 1299/1012 को अपने कब्जे व हिस्से में रखी गई तथा अपीलार्थीगण के हिस्से में अपना जिस जगह कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी आराजी नम्बर 971, 972, 973, 974, 1010 व 1012 को अपीलार्थीगण के हिस्से में रखी गई। जो भूमि वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से वाली भूमि से काफी दूर स्थित है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि के अनुसार विभाजन नहीं होने से उक्त निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी के हिस्से में आई आराजी नम्बर 971, 972, 973, 974, 1010 व 1012 रखी गई, इस आराजी के सिंचाई के साधन आता चाह नम्बर 1006, आता चाह नम्बर 1008 , व आता चाह नम्बर 1042 काफी दूर स्थित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपने विभाजन वाली भूमि इन सिंचाई साधन के पास अपना कब्जा नहीं होते हुए भी दर्ज करवा ली इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है नियमानुसार जब विभाजन का वाद स्वीकार किया जाता है तो बंटवाडी में सभी सहखातेदारों का हिस्सा अलग–अलग उल्लेखित किया जाना होता है परन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 का बंटवाडा करके शेष खातेदारान का खाता यथावत अविभक्त रख दिया । जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 18 व 21 के तहत मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर समानुपातिक रूप से बंटवाडा किया जाना आवश्यक होता है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पुनः नया विभाजन प्रस्ताव तैयार करा उसी अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 11 व 13 से 15 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही वाद डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 10 से 15 एवं 17 से 21 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए थे। शेष प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस जारी किये गये एवं शेष प्रतिवादीगण के सम्मन भी बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। उसके बाद मौके पर कब्जेनुसार ही बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया एवं प्रारंभिक डिक्री एवं निर्णय के तीन माह बाद निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलार्थीगण ने प्रारंभिक डिक्री एवं निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की है। जबकि अपीलार्थीगण को निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की है इसलिए वे निर्णय एवं अंतिम डिक्री की अपील नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर सकते है। अपीलार्थीगण का कथन यह रहा है कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार विभाजन किया गया है परन्तु विभाजन प्रस्ताव गलत तैयार किया या है।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 गोविन्द आत्मज छोगा गुर्जर ने दिनांक 11.8.2016 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए अपील को विड्रो करने एवं अपील को खारिज करने का निवेदन किया था। अपीलार्थी गोविन्द को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए उसने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

13. अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने रिबटल में निवेदन किया कि मात्र अपीलार्थी संख्या 1 गोविन्दराम ने अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया जबकि अपील अकेले अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने ग्राम भैरूखेडा पटवार हल्का जैतगढ तहसील बदनोर के खाता संख्या 135 में आराजी नम्बर 971 लगायत 974 , 1006 1008 से 1012 तथा 1042 कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा 05 बिस्वांसी भूमि से नानू, हरदेव, जगु,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भोमा, मेवा पिता घीसा , मु0 गंगा बेवा घीसा, हंजा, संतोकी, हरकू, कूकी, पिता धन्ना व मु0 अणच्छी बेवा धन्ना 1/5 हिस्सा व गोविन्दराम, लादूराम पिता छोगा मु0 गलकू बेवा छोगा, नारायण, ऊंकार पिता भूरा 1/5, कुन्दन पिता मोटा, ज्वारा पीथा, हीरा पिता सवाई 1/5हिस्सा व उदा मुतबन्ना हजारी 1/5 तथा नन्द,मेवा पिता लक्ष्मण 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होना अंकित करते हुए विभाजन का किये जाने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 1.10.2013 को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्मन का अवलोकन किया गया । हीरा आत्मज सवाई राम प्रतिवादी संख्या 19 को जारी सम्मन की पुश्त पर तामीलकुनिन्दा ने रिपोर्ट अंकित की है '' हम दो मौतबिरान तस्दीक करते हैं की प्रार्थी बाहर गांव जाने से खुले मकान पर चस्पा किया गया । इसी प्रकार नन्दा आत्मज लक्ष्मण का सम्मन मेवा द्वारा प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार कुन्दन आत्मज मोटा गुर्जर जो कि प्रतिवादी संख्या 16 है । उसे जारी सम्मन की पुश्त पर कुन्दन पिता मोटा नामक व्यक्ति ग्राम भेरूखेडा में नहीं रहने का अंकन किया गया है।

16. प्रतिवादी संख्या 19 हीरा आत्मज सवाईराम के मकान पर जो सम्मन चस्पा किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलाधीन मामले में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गए एवं मात्र पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.2.2012 को बनाया गया । जिसे तहसीलदार द्वारा जरिये पत्र दिनांक 19.3.2012 के अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में प्रेषित किया गया । विभाजन नियम 18 से 21 एवं समय–समय पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों द्वारा तहसीलदार की मौके पर उपस्थिति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अनिवार्य मानी गई है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके पर सहखातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित नही की गई जबकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार किया जाना चाहिये।

17. मौके पर यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जावे तो उसका भी मौके पर ही निस्तारण किया जावे। अपीलाधीन मामले में मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को वादग्रस्त आराजियात में से उसके हिस्से में आने वाली भूमि का विभाजन किया शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा शामलाती रखा गया है। जबकि विभाजन के वाद में प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील भी नहीं हो पाई थी । जिससे प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रहे हैं। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना के तहत सहखातेदारों की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.1.2013 को निरस्त किया जाता है। उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर तैयार किये गये बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.09.2018 को उपस्थित रहें।

19. निर्णय आज दिनांक 25.7.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया ।

25/7/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा